

मद 4(1)(ख)-(viii)

**लोक प्राधिकारी के अंग के रूप में गठित बोर्ड, परिषद, समितियां और
अन्य निकाय**

विभिन्न प्रयोजनों के लिए गठित दो या दो से अधिक व्यक्तियों वाले विभिन्न बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण नीचे दिए गए हैं। पुष्टि की जाती है कि इन बोर्डों, समितियों और निकायों की बैठकें आंतरिक निर्णय लेने के लिए होती हैं और आम तौर पर जनता के लिए खुली नहीं हैं और इन बैठकों के कार्यवृत्त जनता की पहुँच में नहीं हैं।

बोर्डों के अतिरिक्त, ऊपर उल्लिखित स्थायी समितियाँ, कुछ समितियाँ विशेष प्रयोजन और सिफारिशों के लिए गठित की जाती हैं और उसके बाद अस्तित्व में नहीं रहती। उदाहरणार्थ, कार्मिकों की पदोन्नति, कार्मिकों के चयन और किसी बोर्ड मामले में कोई विशेष सलाह देने के लिए गठित समितियाँ।

(i) बोर्ड, परिषद, समिति आदि का नाम :-

इसके भाग के रूप में या इसकी सलाह के प्रयोजनार्थ गठित दो या दो से अधिक व्यक्तियों वाले बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का विवरण और क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली हैं, या इस तरह की बैठकों के कार्यवृत्त जनता की पहुँच में हैं:-

कंपनी के आंतरिक दस्तावेज़ होने कारण, बोर्ड बैठकों और इसकी समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त जनता के लिए खुले नहीं हैं।

बोर्ड की समितियाँ :

समितियों के विवरण वार्षिक रिपोर्ट के निगमित शासन पर रिपोर्ट वाले भाग में शामिल हैं जो पीएफसी वेबसाइट के निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है :-<http://www.pfcindia.com/Home/VS/72>

(ii) संघटन :-

निदेशक मंडल :-

कंपनी का प्रबंधन निदेशक मंडल में निहित है। कंपनी के संस्था के अंतर्नियम के अनुच्छेदों के अनुसार, निदेशक मंडल में न्यूनतम 3 और अधिकतम 15 निदेशक हो सकते हैं।

निदेशक मंडल का नवीनतम संघटन नीचे दिया गया है :-

क्र. सं.	पदनाम
1.	श्री राजीव शर्मा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2.	श्री एन बी गुप्ता, निदेशक (वित्त)
3.	श्री पी के सिंह, निदेशक (वाणिज्यिक)
4.	श्री आर एस ढिल्लों, निदेशक (परियोजना)

5.	श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, सरकारी नामित निदेशक
6.	श्री सीता राम पारीक, स्वतंत्र निदेशक
7.	श्रीमति गौरी चौधरी, स्वतंत्र निदेशक
8.	श्री आर सी मिश्रा, स्वतंत्र निदेशक

(iii) **किन तारीखों से गठित की गईं, उनकी अवधि/कार्यकाल और इसकी शक्तियां तथा कार्य :-**

समितियों का विवरण वार्षिक रिपोर्ट के निगमित शासन संबंधी रिपोर्ट वाले भाग में शामिल है जो पीएफसी वेबसाइट के निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है :-<http://www.pfcindia.com/Home/VS/72>

(iv) **क्या इनकी बैठकें जनता के लिए खुली हैं ?**

बोर्ड और इसकी समितियों की बैठकें जनता के लिए खुली नहीं हैं।

(v) **क्या बैठकों के कार्यवृत्त जनता के लिए खुले हैं ?**

कंपनी के आंतरिक दस्तावेज होने के कारण बोर्ड और इसकी समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त जनता के लिए खुले नहीं हैं।

(vi) **यदि जनता के लिए खुले कार्यवृत्त उपलब्ध है उस स्थान का नाम ?**

कंपनी के आंतरिक दस्तावेज होने के कारण, बोर्ड और इसकी समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त जनता के लिए खुले नहीं हैं।